न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 35/2010/223 आर टी ए

1. हरनामकौर पत्नि स्व. करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
2. साधुसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
3. बाबूसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
4. सुखदेवसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।

––अपीलांटस

बनाम

1. परमजीत कौर पत्नि स्व. अंग्रेजसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
2. भगवानकौर पुत्री करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
3. जलकौर पुत्री करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
4. मलकीतकौर पुत्री करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
5. शांतिकौर पुत्री करनैलसिंह पत्नि सुखदेवसिंह ड्राईवर वार्ड नं. 18 संगरिया।
6. नन्दसिंह पुत्र जगराजसिंह पुत्र कंधासिंह उर्फ केहरसिंह जटसिख नुकेरा।
7. गुरजन्टसिंह पुत्र भूरसिंह पुत्र जगराजसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
8. टेकसिंह पुत्र भूरसिंह पुत्र जगराजसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
9. ठकबालसिंह पुत्र भूरसिंह पुत्र जगराजसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
10. राजेन्द्रसिंह पुत्र भूरसिंह पुत्र जगराजसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
11. सरदूलसिंह पुत्र चन्दसिंह पुत्र जगराजसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
12. नायबसिंह पुत्र चन्दसिंह पुत्र जगराजसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
13. अजायबसिंह पुत्र चन्दसिंह पुत्र जगराजसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
14. लखविन्द्र सिंह पुत्र चन्दसिंह पुत्र जगराजसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
15. गुरमीत सिंह पुत्र चन्दसिंह पुत्र जगराजसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
16. मोदनसिंह उर्फ मोहनसिंह पुत्र जगराजसिंह पुत्र फूमनसिंह उर्फ कृपालसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
17. लाभसिंह पुत्र बैशाखासिंह पुत्र फूमनसिंह उर्फ कृपालसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
18. जोगेन्द्रसिंह पुत्र बैशाखासिंह पुत्र फूमनसिंह उर्फ कृपालसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
19. प्रकाश सिंह पुत्र बैशाखासिंह पुत्र फूमनसिंह उर्फ कृपालसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।

20. पप्पूसिंह पुत्र बैशाखासिंह पुत्र फूमनसिंह उर्फ कृपालसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
21. प्यारासिंह पुत्र बैशाखासिंह पुत्र फूमनसिंह उर्फ कृपालसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
22. गुरदीपसिंह पुत्र बैशाखासिंह पुत्र फूमनसिंह उर्फ कृपालसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
23. पवनजीत सिंह पुत्र बैशाखासिंह पुत्र फूमनसिंह उर्फ कृपालसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
24. परमजीत सिंह पुत्र बैशाखासिंह पुत्र फूमनसिंह उर्फ कृपालसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
25. सरजीत कौर पुत्री फूमनसिंह उर्फ कृपालसिह पत्नि प्रितमसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया।
26. जोधासिंह पुत्र सरवनसिंह जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
27. राजविलेन्द्रसिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
28. भूरसिंह पुत्र गुरबचनसिंह जाति जटसिख निवासी जन्डवाला सिखान तहसील संगरिया।
29. दर्शनसिंह पुत्र जमीतसिंह जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
30. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
31. शरणजीत कौर पत्नि बलराजसिंह जाति जटसिख निवासी जन्डवाला सिखान तहसील संगरिया।
32. बूटासिंह पुत्र मिठूसिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम मसीता तहसील डबवाला हरियाणा।
33. सर्दूलसिंह पुत्र मिठूसिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम मसीता तहसील डबवाला हरियाणा।

——रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 19.04.2010 व डिक्री दिनांक 20.04.2010
न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
प्र0सं0 111/2005 अनवानी परमजीत कौर बनाम साधूसिंह

उपस्थित :–
श्री अनिल कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्टस
श्री खुशप्रीतसिंह संधू अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
श्री तरसेमसिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 28 व 31
श्री कुलदीप सिंह औलख अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 33
श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 30

निर्णय दिनांकः–04.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए पेश किया कर वादग्रस्त भूमि के संबंध मे घोषणा एवं खाता तकसीम बाबत अनुतोष चाहा गया। प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा वादपत्र अस्वीकार करते हुए जवाबदावा मय कांउटर क्लेम पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण का कांउटर क्लेम खारिज करते हुए वादपत्र रेस्पो. डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने साधारण स्थिति मानते हुए घोषणा जारी कर दी जबकि वाद को साबित करना चाहिए था जो कि साबित नही है। कानूनी रूप से रेस्पो0 सं. 1 का मात्र चार बीघा दस बिस्वा का हक ही बनता है। वादी रेस्पो सं. 1 द्वारा अपना कब्जा काश्त होने के संबंध मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की। रेस्पो0 सं. 1 का कोई कब्जा काश्त कुल भूमि पर नही है, कब्जा काश्त अपीलांट का है। जिससे बेदखल किये जाने से अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी। पुत्र की मृत्यु के बाद उसके वारिसान मे माता का मृतक की सम्पति मे समान हक होता है। इस प्रकार अंग्रेजसिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजसिंह की माता व उसकी पत्नि दो ही हकदार होने से समान हकदार बनते है, हिस्सा रेस्पो0 रिकार्ड मे गलत दर्ज है जो काबिले दुरूस्ती है। इस तथ्य को विचारण न्यायालय ने जानबूझ कर अनदेखा किया है। विचारण न्यायालय ने दस्तावेज प्रदर्श 5 बंटवारानामा को सही मानकर कानूनी भूल की है। उक्त दस्तावेज ना तो पंजीकृत है और ना ही विधिक रूप से स्टापित है। तनकी सं. 1 व 2 का निर्णय उपरोक्त दर्ज आधारो पर किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नही है। तनकी सं. 2 का निर्णय करते हुए विशिष्ट भूभाग की सीधी तकसीम की डिक्री देना विधि अनुसार नही है। प्रथम रूप से प्राथमिक डिक्री पारित होनी चाहिए थी जिसमे अच्छी मंदी का लिहाज रखते हुए प्रस्ताव तकसीम का मंगवा कर उस पर सुनवाई कर तत्पश्चात निर्णय किया जाकर एफडी बनाई जाती है।

4. तकसीम हेतु वाद समस्त कृषि भूमि के लिए दायर होना चाहिए जबकि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा ऐसा नही किया गया। चक 3 एनकेआर की खरीदशुदा भूमि जो कि संयुक्त खरीद की है उसमे 6 बीघा हेतु कोई वाद घोषणा और तकसीम का नही है इसलिए वाद चलने के काबिल नही था। तनकी सं. 3 का निर्णय विधि सम्मत नही है। तनकी सं. 4 का निर्णय भी विचारण न्यायालय द्वारा सही रूप से नही किया गया। अपीलांट द्वारा 10 बीघा भूमि खरीद करने संबंधी बैयनामा व उसके आधार पर रेस्पो0 सं. 2 ता 4 व अंग्रेजसिंह के नाम दर्ज हुई भूमि का रिकार्ड प्रस्तुत किया था व 4 बीघा भूमि विक्रय कर दी और मौका पर 6 बीघा भूमि पर आज रोज भी कब्जा काश्त है। इस तथ्य पर कोई ध्यान नही दिया। तनकी सं. 4 का निर्णय बहक अपीलांट किया जाना चाहिए था इस तनकी का निर्णय करने मे अदालत द्वारा भूल की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व सीपीसी, रेवेन्यू कोई मैनूयल व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम और इसके तहत बने नियमो की पालना नही की है। निर्णय व डिक्री मृतक व्यक्ति के खिलाफ है जो नैलेटी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब व काउंटर क्लेम के आधार पर समस्त जोत का हक व

हिस्से के अनुसार हको की घोषणा कर तकसीम हेतु प्राथमिक डिक्री पारित कर तत्पश्चात प्रस्ताव मंगवाकर तकसीम की डिक्री पारित किये जाने हेतु आदेश पारित करें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 7 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि रेस्पो सं. 1 के ससुर द्वारा चक 3 एनकेआर मे दिनांक 05.02.1965 का पूर्व मे रेस्पो0 को ज्ञान नही था और न ही बैयनामा के अनुसार जमाबंदी मे नामान्तरण दर्ज हुआ है। अपीलांट द्वारा 4 बीघा आराजी अपनी स्वयं की जरूरतो हेतु विक्रय की गई है न कि पारिवारिक जरूरतो को पूरा करने हेतु। दिनांक 05.02.1965 को चक 3 एनकेआर मे खरीदशुदा 10 बीघा आराजी मे रेस्पो0 सं. 1/वादिया का 2½ बीघा का हक व हिस्सा बनता है जिसे प्राप्त करने की अधिकारीहै। चूंकि उक्त चक 3 एनकेआर की आराजी राजस्व रिकार्ड मे वर्तमान मे प्रतिवादी सं. 1 ता 3 व रेस्पो0 सं. 1 के पति अंग्रेजसिंह के नाम दर्ज नही है। ऐसे मे मौजूदा वाद मे उक्त आराजी विधिक रूप से सम्मिलित की जानी आवश्यक नही है। वादिया द्वारा जद्दी जायदाद को सम्मिलित किया गया है जो विधि अनुसार सही है। चक 3 एनकेआर मे शेष रही 6 बीघा आराजी मे प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का मात्र 3½ बीघा का हक व हिस्सा शेष है। इससे ज्यादा आराजी भूमि की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर रेस्पो0 सं. 1 का वाद स्वीकार किया गया है और अपीलांट का काउंटर क्लेम खारिज किया गया है। जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 सं. 1 द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये स्वीकार करते हुए अपीलांटस का काउंटर क्लेम यह उल्लेखित करते हुए खारिज किया कि वादिया द्वारा न्यायालय के समक्ष चक 4 एनकेआर खाता सं. 14/15, इसी चक के खाता सं. 4/4, चक 3 एनकेआर खाता सं. 4/4 व खाता सं. 69/69 का वाद पेश किया गया है जिसके हद तक ही न्यायालय का श्रवणाधिकार प्राप्त है। चक 3 एनकेआर के खाता सं. 43 की भूमि विक्रय विलेख से खरीदशुदा है जिसके संबंध मे वादिया ने अलग से वादपत्र पेश करने का कथन किया है अभी यह विचारणीय बिन्दू नही होने से वाद पर इसका कोई असर नही है उक्त तनकी सं0 3 विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 ता 4 निर्णित की जाती है। तनकी सं. 4 के सदर्भ मे ही तनकी सं. 3 है जो पहले ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जा

चुकी है। इसलिए अलग से विश्लेषण की आवश्यकता नही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के जिम्मे तनकीयों का निर्णय बिना विश्लेषण करते हुए अपीलांट का विरूद्ध निर्णित करते हुए प्रतिवादीगण/अपीलांट का काउंटर क्लेम खारिज किया गया है।

7. अपीलांट के कथनानुसार चक 3 एनकेआर के मु.न. 3 कि.न. 16, 17, 24, 25 व मु.न. 12 के कि.न. 4, 5, 6, 7, 14, 15 कुल 10 बीघा भूमि हरनेकसिंह व तेजासिंह पिसरान अर्जुनसिंह से अपीलांट सं. 2 ता 4 व अंग्रेजसिंह ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 05.02.1965 को खरीद की थी जिसमे से पारिवारिक जरूरतो के कारण 4 बीघा भूमि मु.न. 3 कि.न. 16, 17, 24, 25 भूमि विक्रय कर दी गई। शेष 6 बीघा भूमि के संबंध मे घोषणा हेतु काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया था जो डिक्री किये जाने योग्य था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 3 व 4 का निर्णय अपीलांट के विरूद्ध पारित करते हुए काउंटर क्लेम प्रतिवादीगण/अपीलांट खारिज कर कर दिया। चूंकि चक 3 एनकेआर के मु.न. 3 कि.न. 16, 17, 24, 25 व मु.न. 12 के कि.न. 4, 5, 6, 7, 14, 15 कुल 10 बीघा भूमि हरनेकसिंह व तेजासिंह पिसरान अर्जुनसिंह से अपीलांट सं. 2 ता 4 व अंग्रेजसिंह ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 05.02.1965 को खरीद की गई है तथा उक्त भूमि मे से 4 बीघा भूमि मु.न. 3 कि.न. 16, 17, 24, 25 भूमि विक्रय कर दी गई। शेष 6 बीघा भूमि के संबंध मे घोषणा हेतु काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 4 आया प्रतिवादी सं. 1 ता 3 व मृतक अंग्रेजसिह के विधिक उत्तराधिकारी चक 3 एनकेआर के खाता सं. 43/44 जमाबंदी सम्वत 2061 मे वर्णित कुल 1.519 है0 आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित करना राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है, उक्त तनकी का निर्णित करते समय तनकी मे वर्णित तथ्यो पर बिना विश्लेषण किये ही तनकी सं. 4 प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध पारित कर दी। जबकि उक्त तनकी का निस्तारण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए किया जाना आपेक्षित होने के कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि किया जाना न्यायोचित नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को चक 3 एनकेआर के मु.न. 12 के कि.न. 4, 5, 6, 7, 14, 15 कुल 6 बीघा भूमि जो कि काउंटर क्लेम मे वर्णित है तथा जिसके संबंध मे तनकी सं. 4 कायम की गई थी, की हद तक प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 111/2005 अनवानी परमजीत कौर बनाम साधूसिंह आदि मे पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.04.2010 व डिक्री दिनांक 20.04.2010 को चक 3 एनकेआर के मु.न. 12 के कि.न. 4, 5, 6, 7, 14, 15 कुल 6 बीघा भूमि जो कि काउंटर

क्लेम मे वर्णित है तथा जिसके संबंध मे तनकी सं. 4 कायम की जाकर निर्णित की गई थी, की सीमा तक निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर चक 3 एनकेआर के मु.न. 12 के कि.न. 4, 5, 6, 7, 14, 15 कुल 6 बीघा भूमि के संबंध मे प्रस्तुत काउंटर क्लेम बाबत कायम की गई तनकी सं. 4 का विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए उक्त वर्णित 6 बीघा भूमि के वर्तमान मे रिकार्डेड खातेदार को पक्षकार संयोजित करते हुए सुनवाई की जाकर 6 बीघा भूमि के संबंध मे पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। शेष अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.04.2010 व डिक्री दिनांक 20.04.2010 यथावत रहेगा। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.02.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्याायलय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा)आर..ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ